संख्या-158/2016/819/22-2-2016-17(211)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल, निवासी-पुरानी बिन्दकी, थाना-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14;08;2007 को अपनी पत्नी सोनू रानी को जबरन जहर खिला दिया जिससे रात्रि में उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-221/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-306 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8 फतेहपुर द्वारा दिनांक 16.11.2011 को 06 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-09-2015 तक 03 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 00 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी को छोडा गया तो अभियोजन पक्ष को प्रभावित करेगा की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबशेन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रमेश कुमार (बन्दी संख्या-325/2011) पुत्र श्री इन्द्रपाल निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-158/2016/819(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-158/2016/819@22-2-2016-17(211)/2016

दिनांक 22 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल, निवासी-पुरानी बिन्दकी, थाना-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14;08;2007 को अपनी पत्नी सोनू रानी को जबरन जहर खिला दिया जिससे रात्रि में उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-221/2008 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-306 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-8 फतेहपुर द्वारा दिनांक 16.11.2011 को 06 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-09-2015 तक 03 वर्ष 11 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 00 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी को छोडा गया तो अभियोजन पक्ष को प्रभावित करेगा की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबशेन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रमेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।